

वर्तमान में लागू कास्ट डेटा बुक (08 जुलाई 2019 से प्रभावी) के अनुसार नया विद्युत संयोजन प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली अनुमानित धनराशि (रूपये में) का विवरण (जहाँ निकटतम बिजली के पोल से परिसर की दूरी 40 मीटर अथवा उससे कम है)									
विधा	क्षेत्र	भार (कि०वा०)	प्रोसेसिंग फीस (18% जी०एस०टी० सहित)	प्रतिभूति धनराशि	लेबर एण्ड ओवरहेड चार्जस (अधिकतम 40 मी०)	मीटर कास्ट	लेबर एण्ड ओवरहेड चार्जस व मीटर कास्ट पर जी०एस०टी० 18%	कुल प्राक्कलन धनराशि	कुल जमा की जाने वाली धनराशि (रूपये में)
घरेलू	1	2	3	4	5	6	7=(5+6)*18/100	8 = (4+5+6+7)	9 = (3+8)
	ग्रामीण/शहरी	01 (बीपीएल आवेदकों के लिए)	11	0	150	872	184	1,206	1,217
	ग्रामीण	1	59	100	150	872	184	1,306	1,365
		2	118	200	150	872	184	1,406	1,524
	शहरी	1	59	300	398	872	229	1,799	1,858
		2	118	600	398	872	229	2,099	2,217
	ग्रामीण/शहरी	3	118	1200	398	872	229	2,699	2,817
		4	118	1600	398	872	229	3,099	3,217
		5	118	2000	2,036	2,921	892	7,849	7,967
वाणिज्यिक	ग्रामीण	1	59	1,000	150	872	184	2,206	2,265
		2	118	2,000	150	872	184	3,206	3,324
	शहरी	1	59	1,000	398	872	229	2,499	2,558
		2	118	2,000	398	872	229	3,499	3,617
	ग्रामीण/शहरी	3	118	3,000	398	872	229	4,499	4,617
		4	118	4,000	398	872	229	5,499	5,617
		5	118	5,000	2,036	2,921	892	10,849	10,967

नोट—

1. आरमर्ड केबिल (सर्विस केबिल) आवेदक द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। यदि आरमर्ड केबिल विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है तो आरमर्ड केबिल का मूल्य उपभोक्ता के विद्युत बिल में जोड़ दिया जायेगा।

आरमर्ड केबिल का मूल्य कॉस्ट डेटा बुक दिनांक 08 जुलाई 2019 के अनुसार निम्नवत् है:-

उपभोक्ता का प्रकार व भार	आर्मर्ड केबिल का साईज	रेट (रूपये प्रति मीटर)	अधिकतम मात्रा (मीटर में)	कुल मूल्य रूपये में (जी०एस०टी० अतिरिक्त)
ग्रामीण क्षेत्र में डोमेस्टिक (घरेलू) / नान-डोमेस्टिक के उपभोक्ताओं के लिए (02 कि०वा० तक)	2x4 mm ² PVC armoured Cable with catenary arrangement	38	50	1900
अन्य उपभोक्ताओं के लिए (04 कि०वा० तक)	2x6 mm ² PVC armoured Cable with catenary arrangement	45	50	2250
सभी उपभोक्ताओं के लिए (05 कि०वा० से 24 कि०वा० तक)	4x25 mm ² XLPE armoured Cable with catenary arrangement	213	50	10650

2. निकटतम बिजली के पोल से परिसर की दूरी 40 मीटर से अधिक होने की स्थिति में अधिक दूरी के लिए अतिरिक्त ओवर हेड लाईन चार्जस का रेट (रूपये प्रति मीटर) कॉस्ट डेटा बुक दिनांक 08 जुलाई 2019 के अनुसार निम्नवत् है, जिसे आवेदक द्वारा जमा किया जायेगा:-

भार (कि०वा०)	जिला मुख्यालय के लिए	अन्य क्षेत्रों के लिए
01 कि०वा० से 04 कि०वा० तक	740	340
05 कि०वा० से 49 कि०वा० तक	970	570

3. उपरोक्त वर्णित सभी दरों में उ०प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है। अतः उपरोक्त दरें परिवर्तनशील हैं।

4. उपरोक्त वर्णित दरें व धनराशि आवेदकों के सुलभ संदर्भ हेतु प्रदर्शित की जा रही हैं। संयोजन निर्गत करने में वर्तमान स्थिति के अनुसार आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली प्राक्कलन धनराशि उपरोक्त से भिन्न हो सकती है।